

363
10/1/2018

8/1/18

Col-2

विषय :- **Preventive vigilance /Role and functions of the Chief Vigilance Officers.**

क्या उप- अधीक्षक कैबिनेट शाखा उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

विषयलिखित मामले में आपको सूचित किया जाता है कि कार्यालय आदेश दिनांक 08.12.2017 के द्वारा विभाग में भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु डा0 केवल कुमार उप निदेशक(पी0एण्ड आई0) को विभाग का Chief Vigilance Officers नामांकित किया गया है। अतः कार्यालय आदेश दिनांक 08.12.2017 की प्रति (प्रति संलग्न) भेजते हुए अनुरोध है कि विभाग की बैबसाईट पर अपडेट करवाने की कृपा करे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

04-1-2018
चिकित्सा अधिकारी

सेवा में,

उप- अधीक्षक कैबिनेट शाखा

अशा0 पत्र क्रमांक 106/72(1)-ई एस आई-जी4-2018/240

दिनांक 8/1/18

1006

कार्यालय आदेश

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक 61/56/2015-2VII, दिनांक 29.01.2016 में पारित हिदायतो की अनुपालना में ई एस आई, हेल्थ केयर विभाग, हरियाणा में भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु डा० केवल कुमार, उप निदेशक (पी० एण्ड आई०) को विभाग का Chief Vigilance Officers नामांकित किया जाता है। अधिकारी का मोबाईल न०, ई०मेल० का वर्णन निम्न प्रकार से है :-

1. Address:- Office of Directorate ESI, Health Care Haryana
SCO No. 803, NAC, Manimajra, Chandigarh.
2. Mobile No. :- 9910919204
3. E.Mail id :- dhsesihry@gmail.com

दिनांक 05.12.2017

गुडगाँव

अनिल मलिक

निदेशक, ई एस आई, स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा ।

पृ० क्रमांक 106/72(1)-ई एस आई-जी०-2017/188

दिनांक 8-12-17

इसकी एक प्रति मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 61/56/2015-2VII, दिनांक 29.01.2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

अतिरिक्त निदेशक

कृते: निदेशक, ई एस आई, स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा

पृ० क्रमांक 106/72(1)-ई.एस.आई-जी०-2017/189

दिनांक: 8-12-17

इसकी एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, Vigilance Department को उनके पत्र क्रमांक 4/4/2017-1VI, दिनांक 27.11.2017 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

अतिरिक्त निदेशक

कृते: निदेशक, ई एस आई, स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा

पृ० क्रमांक 106/72(1)-ई.एस.आई-जी०-2017/190

दिनांक: 8-12-17

इसकी एक प्रति प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

अतिरिक्त निदेशक

कृते: निदेशक, ई एस आई, स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा

पृ० क्रमांक 106/72(1)-ई.एस.आई-जी०-2017/191-199

दिनांक: 8-12-17

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. डा० केवल कुमार, उप निदेशक (पी० एण्ड आई०) निदेशालय ।
2. सिनियर स्केल, स्टैनोग्राफर टू निदेशक ।
3. सभी शाखा अधिकारियों/प्रभारियों ।

अतिरिक्त निदेशक

कृते: निदेशक, ई एस आई, स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा